ALL INDIA KENDRIYA VIDYALAYA TEACHERS' ASSOCIATION

(Reg. No. 10296/1979)
DEJURE RECOGNISED BY
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA
CAMP OFFICE: EB-106,II FLOOR,MAYA ENCLAVE, HARI NAGAR, NEW DELHI-110064

M B AGRAWAL
General Secretary, AIKVTA
&
Leader (Staff Side)JCM(KVS)
09414455832, 09887733117(Mob.)
E-Mail-mbaaikvta@gmail.com

Correspondence Address
42-B Mitra Nagar Colony
Opposite Super King School
Ram Nagar Sodala,
JAIPUR (Raj.)-302019
Website: aikvtahq.in

SHASHI KANT DIXIT
President, AIKVTA
&
Member (Staff Side) JCM (KVS)
(Mob.) 72750 58133
E-Mail shashikantdixitkv@gmail.com

फ़ा.02/म.स./अ.भा.के.वि.शि.संघ/मुख्या/2022-24/11 दिनांक : 16/07/2022

द्वारा ई-मेल

प्रतिष्ठा में,
श्रीमान आयुक्त महोदया
केन्द्रीय विद्यालय सगंठन (मुख्यालय)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016

विषय: केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के लिये घोषित किये गये ग्रीष्मकालीन, शरद /शीतकालीन अवकाशों के पत्रों का हिन्दी भाषा में अनुवाद / रुपान्तर भेजने एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबन्ध में ।

संदर्भ : 1. F. 110334/1/2021-22/KVS HQ/Acad - dated 28/04/2021
2. F.110334/1/2022-23/KVS(HQ)/शैक्षिक/2481-2517 दिनांक 25.03.2022

महोदया,

उपरोक्त विषय के संबन्ध में निवेदन है कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ पिछले दो वर्ष से भी अधिक समय से पत्राचार द्वारा एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली में विभिन्न स्तरों पर हुई विभिन्न वार्ताओं में ग्रीष्मकालीन, शरद /शीतकालीन अवकाशों में शिक्षकों के द्वारा संस्था के हित में किये गये कार्यों के बदले में दिये जाने वाले उपार्जित अवकाश के लिये विभिन्न संभागों द्वारा अलग अलग दिशा निर्देश जारी किये गयें हैं से संबन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई थी । उक्त सम्बंध में आज तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन की लेखा संहिता में दर्शाये गये नियम के आतिरिक्त अन्य कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं जो कि निम्नवत हैं :-

As per Accounts Code, Article 142(2). "The Vacational staff who are put on duty i.e. whether deputed for refresher course or otherwise during vacation shall be entitled to the following compensation-3/5 of the duty rendered during the vacation will be credited as the Earned Leave if the duration of such duty is not less than 10 days".

आपसे पुन: आग्रह है कि विगत दो वर्षो से भी अधिक समय से चली आ रही उक्त समस्या का समाधान सकारात्मक तरीके से शिक्षकों के हितों का ध्यान रखते हुये शीघ्र करने का प्रयास किया जाये ।

महोदया, शैक्षिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के लिये घोषित किये गये ग्रीष्मकालीन, शरद /शीतकालीन अवकाशों के दौरान शिक्षकों को मुख्यालय पर रुकने के आदेश निम्नवत प्रदान किये गये थे ।

1. **शैक्षिक सत्र 2021-22 संदर्भ क्रमांक 1- F. 110334/1/2021-22/KVS HQ/Acad - dated 28/04/2021 संगठन के उक्त पत्र के Note C के अनुसार :-**

C. " Teachers handling class-X and are required for preparing the result of Class-X as per directions of CBSE (to be issued in due course) will be required to remain in the station till the result work is completed. The leave entitled to him/her may be admissible to him/her for the period of stay at the station for the purpose as per rules".

महोदया, उक्त पैरा में अंगेजी भाषा में छपी चार लाईनों की व्याख्या अधिकतर माननीय प्राचार्यों एवं अन्य माननीय अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की गई कि शिक्षकों को उपार्जित अवकाश का लाभ न मिल सके। इस बारे में आपसे दिनांक 04 मार्च 2022 को हुई वार्ता के पश्चात आपके द्वारा कुछ साक्ष्य मांगे गये थे उक्त साक्ष्यों की जानकारी संघ ने आपके कार्यालय में, संघ के पत्रांक F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/414-Date 12-03-2022 के द्वारा प्रस्तुत कर दी थी। आज एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी सत्र 2021-22 में ग्रीष्मकालीन अवकाशों में कक्षा दसवीं की परीक्षाओं के परीक्षा परीणाम के कार्यो से अपने-अपने मुख्यालय पर रुके अधिकतर शिक्षकों को उपार्जित अवकाश का लाभ नहीं दिया है।

2. **शैक्षिक सत्र 2022-23 संदर्भ क्रमांक 2- F.110334/1/2022-23/KVS(HQ)/शैक्षिक/2481-2517 दिनांक 25.03.2022 संगठन के उक्त पत्र के Note (C & D)के अनुसार :-**

"C. Teachers/Employees whose services are needed for CBSE Board Examinations Class-X & XII -2022 & Evaluation work as per direction of CBSE will be retained by the Principal of the KV.

D. Proportionate leave (EL/CCL) as per_rule will be_given forthe_period of stay at the station for CBSE Examination & Evaluation".

महोदया, उक्त पत्रानुसार भी Note (C & D) में अंगेजी भाषा में छपी चार लाईनों की व्याख्या अधिकतर माननीय प्राचार्यों एवं अन्य माननीय अधिकारियों द्वारा किस प्रकार की जा रही है इसके कुछ उदाहरण निम्नवत हैं :-

I. केवल जिस दिन आपको परीक्षा में ड्यूटी पर बुलाया था केवल उस दिन के बदले ही CCL दी जायेंगीं।
II. बोर्ड की परीक्षा अवधि चार घंटे से कम की थी इसलिये दो ड्यूटी के बदले एक दिन CCL दी जायेगी।
III. माननीय प्राचार्यों का कथन -माननीय उपायुक्त महोदय ने virtual meeting में कहा है कि किसी को भी EL नहीं देनी हैं ,जहाँ तक सम्भव हो contractual teachers को बुलाओ।

महोदया, शिक्षक वर्ग लगातार पिछले तीन सालों से ग्रीष्मकालीन अवकाशों का उपयोग संस्था के हित में (कोरोना एवं बोर्ड परीक्षाओं के कारण) नहीं कर पा रहे हैं एवं इसके बावजूद माननीय प्राचार्यों एवं अन्य माननीय अधिकारियों का इस प्रकार का नकारात्मक रवैया खेदजनक है।

आपसे अनुरोध है कि सत्र 2021-22 एवं सत्र 2022-23 में जो शिक्षक बोर्ड की परीक्षाओं के कार्य से अपने-अपने मुख्यालय पर रुके थे उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली के दिनांक 28/04/2021 एवं दिनांक 25/03/2022 के तहत जारी दिशा निर्देशों के तहत उपार्जित अवकाश का लाभ प्रदान किया जाये से सम्बंधित आदेश पारित कराने का श्रम करें। आपसे यह भी आग्रह कि उक्त विषय से सम्बंधित सत्र 2021-22 एवं सत्र 2022-23 के समस्त विद्यालयों के रिकार्ड को केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली मँगाकर तथ्यों की जाँच कराई जाये।

महोदया, बहुत ही खेदजनक है कि मुख्यालय से अनुमोदित /जारी पत्रों की पालन सकारात्मक तरीके से नहीं की जाती है, अत: यह सुनिश्चित किया जाये कि मुख्यालय से अनुमोदित /जारी पत्रों की पालन सकारात्मक तरीके से लागू हो साथ ही यह भी आग्रह कि मुख्यालय से जारी पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकाले जायें। माननीय प्रधानमत्री भारत सरकार एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय स्वयं समय –समय पर आव्हान करता हैं कि हिन्दी भाषा में ज्यादातर कार्य किया जाये, अत: मुख्यालय से जारी सभी पत्र हिन्दी भाषा में भी जारी हों इस पर अमल कराने का प्रयास किया जाये।

महोदया, संघ के उक्त पत्र पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का श्रम करें जिससे कि शिक्षक वर्ग ग्रीष्मकालीन अवकाश का उपयोग संस्था हित में न करने की एवज में उपार्जित अवकाश प्राप्त कर सके।

सधन्यवाद।

भवदीय,

शशिकांत दीक्षित
अध्यक्ष
अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ
एवं
सदस्य (स्टाफ़साइड) जेसीएम, केविएस

मुकुट बिहारी अग्रवाल
राष्ट्रीय महासचिव
अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ
एवं
लीडर (स्टाफ़साइड) जेसीएम, केविएस

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 माननीय संयुक्त आयुक्त महोदया (प्रशासन-1) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली।
2 माननीय संयुक्त आयुक्त (अकादमिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ल।
3 माननीय संयुक्त आयुक्त महोदय (कार्मिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली।
4 माननीय उपायुक्त (अकादमिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली।
5 माननीय उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन समस्त क्षेत्रीय कार्यालय को इस आशय के साथ कि अपने–अपने क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली से दिनांक 28/04/2021 एवं दिनांक 25/03/2022 के तहत जारी दिशा निर्देशों की पालना सकारात्मक तरीके से लागू के आदेश शीघ्र पारित करने/कराने का श्रम करें।